जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 | वर्षः 33 | संख्याः 149 | प्रभात | उदयपुर, शुक्रवार 3 अप्रैल, 2026 | आर.जे. 7202 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

महिला आरक्षण को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है सरकार

इस सोच के तहत संसद में तीन दिन का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, 16 से 18 अप्रैल को

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। संसद के बजट सत्र में एक तीसरा विशेष सत्र देखने को मिलेगा, जिसे 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए बुलाया जाएगा, ताकि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सके।

लोकसभा और राज्यसभा को आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थगित कर दिया गया, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं।

दोनों सदनों की 16 अप्रैल को फिर से बैठक होगी, जहां सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक पेश करेगी।

- इस मकसद से सत्र में विशेष संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। हालांकि, अभी सरकार के सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इस संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए, पर फिर भी सरकार इस संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए अड़ी हुई है।
- सरकार का मानना है कि अगर विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह मैसेज तो जाएगा ही, कि सरकार महिला आरक्षण के पूर्णतया पक्ष में है। पर, विपक्ष सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने दे रहा है।
- क्योंकि, विपक्ष, इस दौरान विधानसभा चुनाव में व्यस्त होगा। अतः सरकार की सोच है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने का पूरा नाटक वह आसानी से रच सकेगी।

महिलाओं को आरक्षण देने की अपनी मंशा का संकेत देने की जल्दबाजी में सरकार इसे परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना से जोड़ना चाहती है, जो अब पुरानी हो चुकी है और इसका कोई खास औचित्य नहीं माना जा रहा है।

अन्य संशोधन भी प्रस्तावित हैं, लेकिन राजनीतिक दल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करना आसान नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है।

भले ही यह पूरा मामला एक राजनीतिक नाटक साबित हो और विधेयक पारित न हो, पर सरकार यह प्रचार जारी रख सकती है कि वह विधेयक पास करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था।

यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।

इस बीच, विपक्षी दल विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और भाजपा इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

महिलाओं के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक खींचतान और राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा।

एसआई भर्ती 2025 में 2021 के अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश

जयपुर, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े मामले में एसआई भर्ती, 2021 में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इन्हें अस्थाई तौर पर 5 व 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के

- सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को राहत दी।

परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे, जब तक संबंधित हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सूरजमल मीणा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों को कहा है कि वे अदालती आदेश की कॉपी 4 अप्रैल तक परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराए और वहां से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें।

प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात जजों को नौ घंटे बंधक बनाकर रखा गया बंगाल के मालदा जिले में

ये जुडिशियल अफसर एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य कर रहे थे

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्य में अराजकता का माहौल व्याप्त है।

मालदा जिले के मोथाबाड़ी क्षेत्र में एक घटना सामने आई, जिसमें एसआईआर कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देर रात केन्द्रीय बलों की एक टुकड़ी ने मौके पर पहुंचकर इन अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप है कि ये घटनाएं उसी तरह हो रही हैं, जैसा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से करने का आ ान कर रही हैं। बताया गया कि महिलाओं

- सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि बंगाल में हर चीज का "राजनीतिकरण" हो चुका है। अतः सवाल यह उठ रहा है कि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश में बढ़ती अराजकता व हिंसा के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही।
- ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से हिंसा प्रतिपादित कर रही है तथा कह रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने देगें।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन जुडिशियल अफसरों ने राज्य सरकार को और कोलकाता हाई कोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया, अपनी सुरक्षा के बारे में, विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ कि सत्यापन का काम कर रहे थे।
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की भारी भर्त्सना की, इन जुडिशियल अफसरों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करने के कारण। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अगर जुडिशियल अफसरों को ही सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो निष्पक्ष, निडर, चुनाव होने की संभावना की कल्पना ही व्यर्थ है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया

आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह लवली युनिवर्सिटी के चीफ अशोक मित्तल की नियुक्ति की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रेल। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी लाइन का उल्लंघन करने के कारण राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक-चेयरमैन हैं।

गुरुवार को आप की ओर से राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया, जिसमें पार्टी के उपनेता पद के लिये पंजाब से निर्विरोध चुने गए मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया।

मित्तल ने मीडिया से कहा, "हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का समय मिलता है; यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राघव चड्ढा को भी भविष्य में राज्यसभा में बोलने का अवसर दिया जाएगा।"

- आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर मित्तल की नियुक्ति की सूचना दी गई तथा पत्र में राघव चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखने का आग्रह भी किया गया है।
- आप नेतृत्व का आरोप है कि राघव काफी समय से पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, पार्टी के वॉकआउट के समय भी वे सदन में बैठे रहते थे, यही नहीं उन्होंने पार्टी नेतृत्व से भी दूरी बना ली है।
- चर्चा है कि राघव भाजपा नेतृत्व के सम्पर्क में भी है। इसलिए आप ने पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली युनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया है।

आप ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखा जाए।

सूत्रों के अनुसार, 37 वर्षीय चड्ढा पिछले कुछ महीनों में कई बार सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ जाते रहे हैं।

12 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिस पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वृद्धा से 80 लाख की साइबर ठगी करने वाले की अग्रिम जमानत से इंकार

जयपुर, 2 अप्रेल (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की वृद्धा को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 80 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश नवीन टेमानी की ओर से

- हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जो समझौते से सुलझाया जा सके।

दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसे समझौते से सुलझाया जा सकता है, बल्कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गंभीर अपराध है, अदालत ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'5037 बीघा में कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है, नक्शा बनाकर पेश करो'

हाई कोर्ट में 5037 बीघा ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 2 अप्रेल। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर में अवाप्त की जा रही 5037 बीघा जमीन में से काफी बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में 'पब्लिक अगेन्सट करप्शन' नामक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश पुष्पेन्द्र भाटी और पुनीत कुमार माथुर ने एडिशनल सॉलिसीटर जनरल (ए.एस.जी.) के आश्वासन को मद्देनज़र रखते हुए आदेश दिये हैं कि राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि उक्त भूखंड में शेष खुले स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिये जायेगा। अदालत ने आदेश में आगे कहा कि हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता के वकील पूरे क्षेत्र का विस्तृत मैप बनायें, जिसमें विवादित क्षेत्र और खुले क्षेत्रों को अच्छे से अंकित किया गया हो, ताकि अतिक्रमण होने से रोका जा सके।

- याचिकाकर्ता, "पब्लिक अगेन्स्ट करप्शन" ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि 12 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही है, 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद, इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।
- हाउसिंग बोर्ड ने कहा, कुल अवाप्त 5037 बीघा ज़मीन में से 4000 बीघा पर हमारा कब्ज़ा है, शेष 1037 बीघा ज़मीन पर कुछ जरुरतमंदों ने कब्ज़ा कर रखा है।

अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका यह कहते हुए दायर की गई है कि 12 मार्च 2025 को अदालत ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी भरत व्यास की ओर से कहा गया है कि 5037 बीघा में से 4000 बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की जा चुकी है और उसका कब्जा है। शेष भूमि पर कई जगह अतिक्रमण हैं, परंतु वह इसलिये हैं कि जयपुर में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है और बाहर से आये लोगों को शहर में बसाने के लिये गैरकानूनी कॉलोनियां काटी गई। उन्होंने कहा कि शहरीकरण रोकना अत्यंत ही मुश्किल काम है। हालांकि गैरकानूनी सोसायटी काटने से सुनियोजित विकास नहीं किया जा सकता है, परंतु राज्य सरकारों को शहर के बाहर से आये गरीबों और रोजगार की खोज में आये लोगों की आवश्यकताओं को भी देखना जरूरी है। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से इस मुद्दे पर संवेदनशील करना चाहा कि अतिक्रमण हटाने से कई गरीबों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईपैक के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की रेड

बेंगलुरु, 02 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले एक बार फिर से आईपैक के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में यह कार्यवाही चल रही है। इससे पहले कोलकाता स्थित ऑफिस में ईडी की रेड हुई थी। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल

- आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव प्रबंधन संभाल रही है और यह रेड कोयला तस्करी के मामले में की जा रही है।

की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थीं। इस दौरान खूब सियासी बवाल हुआ था।

दरअसल, ईडी की यह छापेमारी कोयले की तस्करी को लेकर चल रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में चल रही है। आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रबंधन का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालती आदेश के बावजूद चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाने पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 2 अप्रेल। प्रदेश में अदालती आदेशों के बावजूद स्वायत्तशासी ग्रामीण व शहरी निकायों के चुनाव समय पर आयोजित नहीं कराये जाने के खिलाफ, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर नाराजगी जताते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता ने प्रदेश के निर्वाचन आयोग समेत, मुख्य चुनाव अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर दिये। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जब अदालत यह तय कर चुकी है कि 15 अप्रैल से पहले निकायों के चुनाव आयोजित किये जाने हैं तो निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम को स्वतः ही आगे कैसे बढ़ा सकता है, जबकि अदालत ने इसकी न तो कोई अनुमति दी है, और न ही अदालत से अनुमति मांगी गई है।

- याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी स्वायतशासी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जाये।
- परंतु अदालती आदेशों के बावजूद मुख्य निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी करे, जिसके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और फिर उसका अंतिम प्रकाशन होगा और चुनाव उसके बाद ही हो सकेगा।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी पैरवी के लिये प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिये थे कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाये। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव आयोजित नहीं कराने की वजह से कई निकाय गैरकानूनी तरीके से अपने कार्यकाल से डेढ़ से दो वर्ष अधिक से कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं आयोजित होने की वजह से आम जनता के वोट डालने के संविधानिक हक को छीना जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने आदेश दिये थे कि 15 फरवरी तक चुनाव करा दिये जायें।

पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि अदालती आदेशों के बावजूद, निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी किये, जिनके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और उसका अंतिम प्रकाशन हो जायेगा। उन्होंने अदालत को कहा कि ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक चुनाव आयोजित कराने के आदेश की पालना असंभव है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और टिप्पणी की कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईआरजीसी कमांडर फतह अलीजादेह की मौत

तेहरान, 02 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ईरान को एक और झटका लगा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की बेहद खतरनाक मानी जाने वाली फतेहिन स्पेशल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली फतह

- ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इज़रायली हवाई हमलों के दौरान हुई।

अलीजादेह की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इज़रायली हवाई हमलों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)